राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/ 2052- 246 दिनांक :– 07/02/19

आयुक्त नगर निगम समस्त
आयुक्त नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषय:– घर–घर कचरा संग्रहण एवं कचरे के परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने बाबत्।

संदर्भ:– माननीय मंत्री महोदय स्वा. शा. राजस्थान सरकार द्वारा दिनाक 02/01/2019 को दिये गये निर्देशो के क्रम में

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार राज्य की निकायों में घर–घर कचरा संग्रहण एवं कचरे के परिवहन की वर्तमान में संचालित व्यवस्था को और प्रभावी बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही तथा प्रत्येक घर/गली/मौहल्ले/रोड से कचरा संग्रहित होकर निश्चित स्थान तक परिवहन किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। इस क्रम में पूर्व में जारी निर्देशो की निरन्तरता में निकाय निम्न कार्यवाही अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुये प्रभावी मॉनिटरिंग कर घर–घर कचरा संग्रहण को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर देगें।

राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 प्रभावी है, जिनकी पालना में निम्न लक्ष्य प्राप्त किये जाने है:–

1. शत प्रतिशत घरो से कचरे को पृथक–पृथक (गीला एवं सूखा) एकत्रित करना।
2. एकत्रित कचरे का प्रभावी रुप से शहर में प्रत्येक मार्ग से निर्धारित स्थल तक ढके हुये वाहनों में परिवहन
3. नागरिकों में जागरुकता फैलाने हेतु कार्यक्रम करना जिससे प्रत्येक घर से गीला एवं सूखा कचरा अलग–अलग एकत्रित कर वाहनों में अलग–अलग डाला जावें।
4. निजी भागीधारी को प्रोत्साहित करना तथा ठेकेदार के माध्यम से शेष क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का आंकलन कर अनुबन्ध की शर्तो को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अनुरुप तैयार कर घर–घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन की व्यवस्था कर उसकी GIS/MIS/GPS द्वारा प्रभावी मौनिटरिंग करना।

लक्ष्यो की प्राप्ति के लिऐ निम्न कार्यवाही की जावे:–

1. ठोस अपशिष्ट जनित्रो से घर–घर कचरा संग्रहण
2. कचरे के रिसाईकिलिंग को प्रोत्साहित करना
3. नागरिको/संस्थाओं को साथ लेकर कार्य करना
4. गीले एवं सूखे कचरे को अलग–अलग प्रोसेसिंग करना
5. सफाई कार्यो में लगें अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमता संवर्धन

उपरोक्तानुसार लक्ष्यों का निर्धारण कर गाइडलाइन के अनुसार Strategy बनाकर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु घर–घर कचरा संग्रहण को और प्रभावी बनाने हेतु निम्नप्रकार से कार्यवाही की जावे:–

1. घर–घर कचरा संग्रहण हेतु आवश्यक मात्रा में वाहनो/संसाघनों को लगाकर निश्चित समय में प्रत्येक घर का गीला एवं सूखा कचरा अलग–अलग एकत्रित कर उसका निर्धारित स्थल तक ढके हुये वाहन से परिवहन करना।

2. सडको पर लगे Litter bins एवं Community bins से कचरा एकत्रित करने की अलग से संसाधन लगाकर प्रभावी व्यवस्था की जावे।
3. उपलब्ध संसाधनों का Optimum प्रयोग कर दक्षता को दर्शाते हुये संपूर्ण क्षेत्र में कार्य संपादित करना।
4. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी तथा जो सफाई कार्यो में लगे है, कि ड्यूटि एवं कार्य का निर्धारण किया जावें।
5. नागरिको का सहयोग एवं NGOs, SHGs एवं महिलाओ के ग्रुप बनाकर सफाई के कार्यो में सम्मिलित कर कार्य को और अधिक प्रभावी रुप से किया जावें।
6. स्वंय में संसाधनों से आवश्यकता का निर्धारण कर सुनिश्चित मात्रा में वाहनों/संसाधनों का कय कर उनको संचालित करना।
7. घर–घर कचरा एकत्रित करने हेतु प्रत्येक वार्ड का रुट चार्ट बनाकर उसका प्रत्येक घर गली मौहल्ला तथा रोड को कवर करते हुये समय का निर्धारण करना, उक्त रुट चार्ट को सार्वजनिक करना, वाहन पर चस्पा कर उसका संचालन करना। प्रत्येक वाहन में GPS लगाकर उसके माध्यम से उसके द्वारा किये गये कार्यो के आधार पर भुगतान का आकलन तथा GPS का प्रभावी कियान्वयन करना।
8. कचरे का एकत्रीकरण गीला एवं सुखा अलग–अलग कर परिवहन करना ट्रासफर स्टेशन की स्थिति में ट्रासफर स्टेशन से कचरे का ढके हुये व्हीकल (Compactor, Bulk Haulage Vehicle) से प्रोसेसिंग प्लान्ट तक परिवहन करना।
9. संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि एक बार एकत्रित किया गया कचरा पुनः जमीन पर नही आना चाहिए। कचरे का रिसाइकिलिंग को प्रभावी बनाने हेतु (Reuse, Recycle, Recover and Remove) तकनीक का उपयोग किया जावे। इस कार्य हेतु रेगपिकर्स का रजिस्ट्रेशन कर उनमें कार्य करवाया जावें। स्वंय सहायता समूहों, महिला समूहों को सम्मिलित कर वार्ड स्तर पर प्रभावी कार्य करवाया जावें।
10. प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित करने की Frequency उनके द्वारा जनित्र कचरे की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जावे, अर्थात जहां ज्यादा कचरा उत्पन्न होता है वहा दिन में दो बार कचरे को इक्ठठा किया जा सकता है। गीले एवं सूखे कचरे को अलग–अलग इक्ठठा कर उसका परिवहन करने हेतु अलग–अलग कम्पार्टमेन्ट वाले वाहनो का प्रयोग कर Source Segregation को प्रभावी बनाया जावें। इस हेतु यह व्यवस्था भी लागू कि जा सकती है, कि आवश्यकतानुसार सप्ताह में एक या दो दिन तय कर सूखा कचराएकत्रित किया जाकर उन्ही दिवसों मेटेरियल रिकवरी फेसेलिटी (Material Recovery facility) पर पहुचाया जाकर उसका निपटान करना।
11. प्रत्येक गली, मौहल्ले, मुख्य सडक, आन्तरिक सडक, तंग सडक से निर्धारित मात्रा में संसाधन लगाकर प्रतिदिन कचरे की मात्रा को देखते हुये प्रत्येक दिवस को सफाई सुनिश्चित की जावें। पार्को का कचरा अलग से इक्ठठा किया जावे यथा संभव पार्को में अन्दर ही कचरे से खाद बनाई जाकर उसका उपयोग उसी पार्क में सुनिश्चित किया जावे।
12. Secondery Storage हेतु आवश्यकतानुसार कचरा पात्रो को रखकर उनको नियमित खाली करने का सिस्टम बनाया जाकर किसी भी कचरा पात्र को Over flow होने से पूर्व ही खाली करना सुनिश्चित किया जावे।
13. आवश्यक संसाधनों का नियमानुसार कय किया जावे, जिसमे निम्न सम्मिलित हैः–

(i) Long handle broom

(ii) Containerized Wheel barrow

(iii) Containerized tricycle/ rickshaw

(iv) ऑटो टिपर (twin compartment)

14. पार्को, सामुदायिक स्थलों बाजारों मण्डियों में कम्पोस्ट खाद बनाये जाने हेतु Onsite composting को बढ़ावा दिये जाने हेतु कम्पोस्ट प्लांट/ मशीनों का नियमानुसार क्रय किया जावें।
15. बल्क वेस्ट जनरेटर को स्वंय के स्तर पर उनके द्वारा जनित्र कचरे के निपटान हेतु प्रेरित करना।
16. सुखे कचरे के निपटान हेतु Material Recovery Facility (MRF) का उपयोग करते हुये सीमेन्ट प्लान्ट में consume किया जा सकता है। इससे रेगपिकर्स की भूमिका अहम् हो सकती है। छटाई करने वाले रेगपिकर्स को Bye back आधार पर भी विचार किया जा सकता है। C&D वेस्ट को अलग से इक्ठठा किया जावे।
17. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी उपविधियो की पालना करते हुये resource mobligation करना शहर को गंदा करने वालो से निर्धारित शुल्क वसूला जावे।
18. समय—समय पर IEC गतिविधियों के माध्यम से जन चैतना का कार्य किया जाकर नागरिको को स्वच्छता के प्रति जागरुक करना।
19. टोल फ्री नम्बर के माध्यम से या मोबाइल आधारित एप के माध्यम से नागरिको की शिकायतों का निवारण तथा feedback लिए जाने का सिस्टम बनाया जावे। नागरिको की शिकायतो का तय समय सीमा में निराकरण पर सूचित करना।

अतः उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए घर—घर कचरा संग्रहण के कार्य को प्रमुख मार्गो के साथ—साथ समस्त आंतरिक सड़को को सम्मिलित करते हुए सम्पुर्ण क्षेत्र में किया जावे तथा उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित कि जावें।

संलग्नः— Flow chart (अनुलग्न A)

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :— एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 19/ 2247-261 दिनांक :— 07/02/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव,शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
5. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
6. मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
7. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
8. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता